

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता / कार्य.अभि., लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: १५.५.१२

**विषय :-** मॉग संख्या-५०— लघु सिंचाई विभाग, के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, / लघुशीर्ष -१०१—सतही जल, / उपशीर्ष -२२—जीर्णशीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन कार्य, विस्तृत शीर्ष-०५— निर्माण-४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुज्जीकरण, विपत्र कोड-५०P470200101220543 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	५०— लघु सिंचाई विभाग, ४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	१०१—सतही जल, २२—जीर्णशीर्ण वाहनों का पुनर्स्थापन कार्य	०५— निर्माण ४३ अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुज्जीकरण विपत्र कोड-५०P470200101220543	लघु सिंचाई, राँची
प्रमंडल का नाम		आवंटित राशि (लाख रु में)		अभियुक्ति
6	7	8	9	
लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची।	०२ अदद निरीक्षण वाहनों का क्रय	४.४०		वर्ष २०११-१२ में क्रय किये जाने वाले वाहन के बकाया राशि के भुगतान हेतु

आवंटित राशि — ₹ चार लाख चालीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. १५.०० लाख (पन्द्रह लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक ३/पि. एम. सी./क्रय-७३/१०-११ (खण्ड-I)/७१/११-१२ प्र. स्वी., राँची, दिनांक: ३०.०३.१२ द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट :** यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

८१  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :—

। ०

रॉची, दिनांक :-

। ५। २

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८१  
(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :—

। ०

रॉची, दिनांक :-

रॉची, दिनांक । ५। २

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा—7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सारिघ्यकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव